राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज)

क्रमांक एफ 37( )पराविं/प्रशा.2/कलिभ/कोर्टकेसे लीगल/2018/37 जयपुर, दिनांक 06.02.2019

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
जिला परिषद सीकर ।

विषयः कनिष्ठ लिपिक भर्ती 2013 के आवेदन में सेटकॉम योजना के अनुभव के अंक जोडकर की गई नियुक्ति के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत श्री मन्नाराम जाट, पुत्र श्री छोगाराम जाट याचिका कर्ता के संबंध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा याचिका संख्या 10889/2017 में दिनांक 18.05.2018 को अभ्यावेदन निस्तारण हेतु आदेश पारित हुआ था। श्री मन्नाराम जाट, पुत्र श्री छोगाराम जाट याचिका कर्ता को बिना अभ्यावेदन निस्तारण किये एवं जिला स्थापना समिति में विचार किये बिना आदेश क्रमांक 2041 दिनांक 05.07.2018 द्वारा सामान्य श्रेणी में नियुक्ति प्रदान कर दी गई, जबकि दस्तावेज सत्यापन के संबंध में श्री मन्नाराम जाट को अन्य पिछडा वर्ग में दर्शाया गया है।

सेटकॉम योजना की स्थापना डिपार्टमेन्ट ऑफ साईन्स एण्ड टेक्नोलोजी के द्वारा की जाने के कारण इसके संविदा कार्मिको को अनुभव प्रमाण पत्र के आधार पर कनिष्ठ लिपिक भर्ती 2013 में बोनस अंको का लाभ देय नहीं था। श्री मन्नाराम जाट, पुत्र श्री छोगाराम जाट को जिला परिषद सीकर के आदेश क्रमांक 2041 दिनांक 05.07.2018 द्वारा सेटकॉम योजना के अनुभव के आधार पर बोनस अंक जोडकर नियुक्ति दी गई है। सीकर जिले की सामान्य वर्ग की अन्तिम कटआफ 72.108 रही है एवं अन्य पिछडा वर्ग के अन्तिम कटआफ 71.031 है। श्री मन्नाराम को सैटकॉम योजना के अनुभव के आधार पर 30 बोनस अंको सहित 72.32 अंक निर्धारित कर पात्र मानते हुये नियुक्ति दी गई है। बोनस अंक के बिना श्री मन्नाराम के अंक 42.32 है, जो कि सीकर जिले की सामान्य कैटेगिरी (72.108) एवं ओ बी सी कैटेगिरी (71.031) से कम है। श्री मन्नाराम के वरीयता अंक (42.32) कम होने के कारण सामान्य वर्ग अथवा अन्य पिछडा वर्ग, किसी में भी नियुक्ति हेतु पात्र नहीं है।

इस प्रकार उपरोक्त नियुक्ति राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के अधीन प्रकाशित विज्ञप्ति की शर्तो के विपरीत एवं विधिक प्रावधानो के विरूद्ध होने के कारण श्री मन्नाराम जाट, पुत्र श्री छोगाराम जाट को जिला परिषद सीकर के आदेश क्रमांक 2041 दिनांक 05.07.2018 द्वारा सेटकॉम योजना के अनुभव के आधार पर बोनस अंक जोडकर किया गया नियुक्ति आदेश तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है। श्री यादव को तत्काल प्रभाव से नियमानुसार सेवामुक्त कर अवगत करावे।

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

(एस. एस. सोहता)
शासन सचिव एवं आयुक्त

प्रतिलिपि :– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय उप मुख्यमंत्री एवं पंचायती राज मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग, राज. जयपुर।
3. अतिरिक्त महाधिवक्ता, राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर।
4. मुख्य कार्यकारी अधिकारी/अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद समस्त।
5. संबंधित श्री मन्नाराम जाट कनिष्ठ सहायक, जिला परिषद सीकर।
6. ए.सी.पी. को वैबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
7. आदेश पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव एवं अतिरिक्त
आयुक्त